कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक :शिविरा–मा/संस्था/सी–5/स्थानांतरण/2020–21/1–504 दिनांक– 04.01.2021 के तहत् रोहिताश कुमार वर्मा व्याख्याता, भूगोल राउमावि बुज, (218692) जमवारामगढ जयपुर का स्थानांतरण राबाउमावि. बीगोद (222642) मांडलगढ भीलवाडा किया गया। उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्व रोहिताश कुमार वर्मा द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 410/21 रोहिताश कुमार वर्मा, बनाम निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर व अन्य दायर की गई। उक्त अपील में माननीय अधिकरण ने आदेश दिनांक 25/01/2021 में अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपील के आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एंव प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत अभ्यावेदन को विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को देने के आदेश पारित किये है।

माननीय अधिकरण के निर्णय की पालना में अपीलार्थी द्वारा स्वयं की प्रतिकुल पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि. बुज(218692) जमवारामगढ जयपुर में किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की है।

माननीय अधिकरण के निर्णय की पालना में विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों का परीक्षण व मनन किया। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में किसी भी राउमावि/राबाउमावि में पदस्थापन/स्थानांतरण किया जा सकता है। यह विधि सुस्थापित सिद्वांत है कि किसी लोकसेवक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानांतरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। अपीलार्थी द्वारा अपने पदस्थापित स्थान पर दिनांक 26.03.2021 को कार्यग्रहण किया जा चुका है। उपर्युक्त परिस्थितियों को मददेनजर रखते हुए किए गए स्थानांतरण आदेश में राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 एवं सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया। उक्त आधार पर अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत वांछित स्थान पर पदस्थापन हेतु की गई मांग नियमानुकूल तर्कसंगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाए जाने के आधार पर एतदद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/रोहिताश/410/21/अभ्यावेदन/20–21 दिनांकः– 05/07/2021

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
  01. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
  02. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, को सूचनार्थ।
  03. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
  04. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
  05. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
  06. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)